<u>फैक्स / ई-मेल / स्पीड पोस्ट द्वारा</u>
सं. 138/740 / प्रशा /र. सं. / 17 (पेंशन)
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
रक्षा सम्पदा महानिदेशालय
रक्षा सम्पदा भवन, उलानबटार मार्ग
दिल्ली छावनी -110010
दिनांक 16 मई, 2017

सेवा मे,

प्रधान निदेशक, रक्षा संपदा,
रक्षा मंत्रालय,
मध्य / दक्षिणी / पश्चिमी / उत्तरी / पूर्वी / दक्षिण पश्चिमी कमान,
लखनऊ / पुणे / चंडीगढ़ / जम्मू / कोलकाता / जयपुर

<u>विषय: सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन -2016 से पूर्व के पेंशनरों/ परिवार पेंशनरों की पेंशन आदि में संशोधन</u>

उपर्युक्त विषय पर पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग के का. ज्ञा. सं. फा सं. 38/37/2016-पी एंड पीडब्लू (ii) दिनांक 4 अगस्त, 2016 और 38/37/2016-पी एंड पीडब्लू (ए) दिनांक 12 मई, 2017 (प्रतियां संलग्न) के संदर्भ में।

2. दिनांक 12 मई, 2017 के उपर्युक्त का.ज्ञा. के पैरा 18 में कहा गया है कि **"2016 से पूर्व के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों की पेंशन / परिवार पेंशन को इन आदेशों के अनुसार 01.01.2016 से संशोधित करने और संशोधित पेंशन भुगतान प्राधिकार जारी करने की ज़िम्मेदारी उस विभाग के प्रमुख और उस कार्यालय से सम्बद्ध वेतन एवं लेखा कार्यालय की होगी, जहां से सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ था या जहां वह मृत्यु से पहले सेवारत था। पेंशन स्वीकृतिदाता प्राधिकारी, संबंधित कार्यालयों को यथाशीघ्र नोशनल आधार पर वेतन निर्धारित करने और जल्द से जल्द संशोधित प्राधिकार जारी करने के लिए कहेगा। संशोधित प्राधिकार मौजूदा पीपीओ नंबर के तहत जारी किया जाएगा और यह पेंशन संवितरण प्राधिकारी तक उसी चैनल के माध्यम से पहुंचेगा जिस माध्यम से मूल पीपीओ पहुंचा था।"**

3. अतः, निदेशालयों और उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी कार्यालयों और राष्ट्रीय रक्षा सम्पदा प्रबंधन संस्थान, दिल्ली छावनी के लिए 2016 से पूर्व के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों की पेंशन / परिवार पेंशन को इन कार्यालय ज्ञापनों के उपबंधों के साथ-साथ सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले अन्य संबन्धित अनुदेशों के अनुसार 01.01.2016 से संशोधित करने के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करना आवश्यक है।

4. इस कार्य को वर्तमान कर्मचारियों द्वारा या जहां कहीं आवश्यक हो, विशेष सेल बनाकर और अनुबंध आधार पर कर्मचारी नियुक्त करके भी तत्काल पूरा किया जाए, ताकि सभी पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को यथाशीघ्र संशोधित पेंशन का भुगतान किया जा सके। विभिन्न कार्यालयों में इस कार्य में हुई प्रगति की जानकारी इस महानिदेशालय को मासिक अंतराल पर दी जाए।

5. इसे महानिदेशक, रक्षा सम्पदा का अनुमोदन प्राप्त है।

पी. डेनियल

(पी डेनियल)
अपर महानिदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता)
रक्षा सम्पदा

<u>प्रतिलिपि:-</u>
निदेशक, राष्ट्रीय रक्षा सम्पदा प्रबंधन संस्थान
रक्षा सम्पदा महानिदेशालय (राजभाषा अनुभाग)
डीएमएस / वेबसाइट / एयू और आरसी / गार्ड / फ्लोट फ़ाइल